हँ, याद राखु ...

कोनो भि व्यक्तिके हुनक उत्पति, जाती, समुदाय, पेशा, व्यवसाय आ शारिरीक अवस्थाक आधारमे कोनो भी नीजि और सार्वजनिक स्थानमे कोनो प्रकारक भेदभाव वा छुवाछूत नहि कएल जायत । **- धारा २४ (१), नेपालक संविधान, २०७२ ।**

किओ भी नीजि और सार्वजनिक स्थानमे जातीय भेदभाव आ छुवाछूतजन्य आन अपराध कएला पर दण्ड अनुसार ३ महिना सँ ३ बर्ष धरि जेल या ५ सौ टाका सँ २५ हजार टाका धरि जरिवाना या दूनु सजाय भऽ सकैत अछि । सार्वजनिक पद धारण कएल व्यक्ति यदि एहन अपराध करत तऽ हुनका आन व्यक्तिके होएमवाला सजाय सँ ५० प्रतिशत सजाय कएल जायत ।
-दफा ७ (१) (क, ख) जातीय भेदभाव तथा कसूर सजाय ऐन, २०६८ ।

जातीय भेदभाव आ छूवाछुत, डाइन या वहुविवाह सम्वन्धि कोनो अपराधमे जेल सजाय भेल व्यक्तिकें ओहन दण्ड भोगलाक ३ बर्ष पूरा नहि भेला धरि स्थानिय निकायक निर्वाचनमे उम्मेदवार होमएलेल अयोग्य मानल जायत । **- दफा १३ (ज), स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ।**

सवके सम्मानजनक व्यवहार करी, कानूनक पालना करी !!

मानव अधिकार आ आत्मसम्मानक लेल सामूहिक आवाज परियोजना

website: dalithumanrights.org.np